

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: अधिसूचना ::—

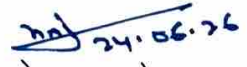
पटना-15, दिनांक:- 24/06/2026

संख्या-17/स्था0-03-18/2026, 11347/सा.प्र.- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारी को स्तम्भ-3 में अंकित विभाग/कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम-4 में अंकित विभाग/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, को०क्र० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री गौरी शंकर झा, 253/26, 149'ख'/26(संशोधित) दरभंगा	अवर सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।	अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

2. श्री अजय त्रिपाठी, बि०स०से०, को०क्र०-481/26, अवर सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-11286, दिनांक-24.06.2026 द्वारा किये गये स्थानांतरण को निरस्त किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. उक्त स्थानांतरण श्री झा के अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0-03-18/2026, 11347/सा.प्र., पटना-15, दिनांक:- 24/06/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रधान महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।